रजिस्ट्री सं० डी० (सी०)-72

REGISTERED NO.D(D)-72

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
GOVT OF INDIA

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 244] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 1, 1979/श्रावण 10, 1901
No. 244] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 1, 1979/SRAVANA 10, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 1979

सा. का. नि. 464 (अ).—केन्द्रीय सरकार, चीनी (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खण्ड 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृषि और सिंचाई मंत्रालय (खाद्य विभाग) के आदेश सं. सा. का. नि. 415 (अ)/आ. वस्तु/चीनी, तारीख 28 जून, 1979 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश में,—

(1) मद (2) को, मद (3) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा, और इस प्रकार पुनः संख्यांकित मद (3) के पूर्व, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

"(2) मासिक आदेश द्वारा, उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, विक्रय के लिए उसे दी गई चीनी के मासिक कोटा से कम विक्रय या प्रयोग नहीं करेगा, या" ,

(2) मद (3) को मद (4) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा ।

[सं. 1-28/79-एस पी वाई (डेस्क-2)]

सी. एन. राघवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, 1st August, 1979

G.S.R. 464 (E).—In exercise of the powers conferred by clause 5 of the Sugar (Control) Order, 1966, the Central Government hereby amends the Order in the Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Food) No. G.S.R. 415 (E)/Ess. Com./Sugar dated the 28th June, 1979, as follows :—

In the said Order,—

(i) item (ii) shall be renumbered as item (iii); and before item (iii) as so renumbered, the following shall be inserted, namely :—

"(ii) sell and despath less than monthly quota of sugar released to him for sale by the monthly Order, within a period specified therein ; or ;";

(ii) item (iii) shall be renumbered as item (iv).

[No. 1-28/79-SPY (Desk-II)]

C. N. RAGHAVAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1979